

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1087 पार्ट)/2018/ दिनांक:-

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म.स्वा.का./ (अजमेर)/2015/1099 दिनांक 09.10.2015 द्वारा श्रीमती रिनु कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर को स्वीकृत अध्ययन अवकाश के बिन्दु संख्या 03 पर अंकित अवैतनिक अवकाश में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश अवधि
3. दिनांक 27.05.2017 से 26.01.2018 तक 245 दिवस का अवैतनिक अवकाश।	3. दिनांक 27.05.2017 से 26.07.2017 तक 61 दिवस का असाधारण अवकाश।

निदेशालय के आदेश दिनांक 09.10.2015 में अंकित शेष अवकाश अवधि यथावत रहेगी।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 14/05/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1087 पार्ट)/2018/930

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
2. अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर